न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 81/2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1 अरशद खां पुत्र फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
2 आमन्ना पुत्री फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
3 इन्द्र पत्नी फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
4 ताज मोहम्मद पुत्र बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
5 नजीर खां पुत्र बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
6 मनवर पुत्र बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
7 मो0 हारून पुत्र फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
8 शाहिद खां पुत्र फिराद खां जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
9 साबिर खां पुत्र बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला
10 हुसन खातुन पुत्री बच्ची जाति मुसलमान निवसी बैंरियावाली तहः खाजूवाला

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 07.01.26**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पे ा किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/17 के किला नं0 02 ता 25 की 5.8041 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादीगण द्वारा किला नं0 02 ता 25 की 5.8041 हैक्टर भूमि पर 15–20 अवैध मकानों का निर्माण किया जा रहा है। रकबे में अवैध आवासीय उपयोग की अनुमति नहीं है। इसप्रकार अवैध आवासीय उपयोग करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिए किया गया है। अवैध रूप से मकान निर्माण किया जाकर आवासीय उपयोग करने के लिए नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर मकानों का निर्माण कर आवासीय उपयोग कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 05 की ओर अधिवक्ता श्री दिलीप शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीशप्रसाद ने वकालतनामा मय जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की माता बच्ची के नाम से कृषि भूमि का आवंटन किया गया था जिनके फौत होने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज किया जाना शेष है एवं खातेदारी ली जानी शेष है। प्रार्थीगण की माता औरत जात होने के कारण उक्त भूमि की सही से सार संभाल नहीं कर सकी तथा जिसकारण कुछ भूमाफिओं ने उक्त भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लगभग 08–10 मकान निर्माण कर कब्जा कर लिया है। जिसे हटवाने हेतु प्रार्थीगण की माता ने पुलिस थाना में कई बार प्रार्थनापत्र दिए किन्तु पुलिस थाना ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। अब प्रार्थीगण की माता फौत होने के बाद प्रार्थीगण द्वारा भी पुलिस थाना व तहसील में अतिक्रमण हटवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किए किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि भूमाफिआयों को खाली करने का निवेदन करने पर उक्त भूमाफिया हम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को धमकी देते है कि हमने तुम्हारी माता से बरगलाकर खातेदारी दिलवाने के बहाने कुछ खाली कागजात व स्टाम्प पेपर पर उनके जाली व बईमानी से अंगूठा निशानी लगवा रखी है। अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते है और वो भूमाफिया थोड़े पैसे का लालच देकर हमें भी कहते है तुम खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर दो वरना तुम्हे झूठे मुकदमों में फंसा देगें। यह सही है कि उक्त कृषि भूमि का अकृषि कार्य प्रयोग हुआ है किन्तु हम

प्रार्थीगण की माता या हम प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है, यह अवैध अतिक्रमण भूमाफियाओं द्वारा किया गया है। उक्त भूमि अभी गैरखातेदार है एवं आवंटन राशि भी जमा नहीं है इसलिए उक्त भूमि को हस्तारन्तरण करने का अधिकार किसी को नहीं था एवं यदि कोई फर्जी कागज या स्टाम्प पर फर्जी तरीके से धोखे में रखकर बेईमानी से प्रार्थीगण की माता या किसी अन्य सदस्य से हस्ताक्षर करवाकर कोई हस्तांतरण भूमाफियाओं द्वारा बताया जाता है तो वह गैरकानूनी है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के इसलिए यदि उक्त भूमि से अतिक्रमण हटवाकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम नियमन किया जाता है तो प्रार्थीगण समस्त पैनेल्टी राशि राजकोष में जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः यह वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि वादगत कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध आवासीय उपयोग कर मकानों का निर्माण कर आवंटन शर्तो को भंग किया गया है इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटन निरस्त कर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

.....जिम्मे वादी

1. आया कि वादगत कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अकृषि उपयोग एवं अतिक्रमण नहीं किया गया है इसलिए वादगत भूमि का नियमन अप्रार्थीगण के नाम किया जावे एवं वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायम के बाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद किये गए। पत्रावली पर सुना गया। राज पैरोकार ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया। अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 जिम्मे वादी को सिद्ध करने का भार था जिसको साबित करने में आंशिक सफल रहा है किन्तु वादगत भूमि में से आंशिक भूमि का बिना विधिक आधार के कृषि भूमि का अकृषि प्रयोग करने को अनदेखा नहीं किया जा सकता है एवं प्रतिवादी द्वारा तनकी सं0 2 साबित करने में असफल रहा है किन्तु तहसीलदार/राज पैरोकार ने स्वंय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस रकबे का अकृषि प्रयोग हुआ है उस रकबा की खातेदारी निरस्त करते हुए, उक्त अकृषि प्रयोग हुए रकबो को अराजीराज दर्ज करने के आदेश फरमावें जाए। वादगत भूमि का अकृषि प्रयोग हुआ है को नियमानुसार अराजीराज करने के आदेश किये जाने उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, 63 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज वादगत भूमि चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 102/17 के किला नं0 02 ता 25 की 5.8041 हैक्टर भूमि को राजकीय भूमि/अराजीराज घोषित/दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार आगामी कार्यवाही करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढवाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)